रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 अगस्त, 1983/29 श्रावण, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd August, 1983

No. 4-3/74-Tpt-Vol. I.—In supersession of the all previous notifications issued in this behalf by this Department and in exercise of the powers conferred by section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (Parliament Act 64 of 1950) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Board of Directors of Himachal Road Transport Corporation with immediate effect, namely:—

1.	Shri Sat Mahajan, Minister for Transport, Himachal Pradesh	*Chairman*
2.	Shri Chander Kumar, M.L.A. of the H. P. Vidhan Sabha	*Vice-Chairman*
3.	Shri R. K. Anand, Secretary (Transport) to the Government of H. P.	*Director*
4.	Shri S. M. Kanwar, Secretary (Finance) to the Government of H. P.	-do-
5.	Shri B. D. Thappar, Managing Director, H.R.T.C.	-do-
6.	Shri A. K.Goswami, Secretary (P.W.D.) to the Government of H. P.	-do-

1569-राजपत्र/83-20-8-83—1,140.

मूल्य : 20 पैसे।

7. Shri J. C. Singhal, Financial Advisor and Chief Accounts Officer, Northern Railway, New Delhi. — *Director*

8. Shri J. K. Bali, Chief Marketing and Parcel Superintendent, Northern Railway, New Delhi. — -do-

R. K. ANAND,
Secretary.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 1983

संख्या 6-56/81 (परिवहन).—यतः राज्य सरकार का यह विचार है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम 4) की धारा 14(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान नया प्रक्षेत्र, पामलपुर की मोटर गाड़ियों को कर के संदाय से सहर्ष छूट देते हैं।

आर० के० आनन्द,
सचिव।

[*In pursuance of clause* (3) *of article* 348 *of Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the English Text of notification No.* 6-55/81 (*Parivahan*), *dated* 4*th August*, 1983 *for the information of the general public*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th August, 1983

No. 6-56/81 (parivahan).—Whereas the State Government is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt all the vehicles of the Council of Scientific & Industrial Research New Complex, Palampur from the payment of the tax.

R. K. ANAND,
Secretary.

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अगस्त, 1983

संख्या एल0एस0जी0डी0-(4)-4/81.—हिमाचल प्रदेश नगर किराया नियंत्रण अधिनियम, 1971 (1971 का 23) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश

के राज्यपाल निदेश देते हैं कि उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्ध, तत्काल से इस प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों की, इमारतों और किराये की भूमियों पर लागू नहीं होंगे ।

आदेशानुसार,
ए० के० गोस्वामी,
सचिव ।

[*Authoritative English Text of this Government Notification No. LSG-D*(4)4/81, *dated 3rd August*, 1983 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*.]

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 3rd August*, 1983

No. LSG-D(4)4/81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1971 (Act No. 23 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that with immediate effect the provisions of the aforesaid Act, shall not apply to the buildings and rented lands belonging to the Municipal Corporation, Municipal Committees and Notified Area Committees in this State].

A. K. GOSWAMI,
Secretary.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अप्रैल, 1983

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (3)-4/76-II.—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 में आगे संशोधन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का अधिनियम संख्या 19) की धारा 60 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल के राज्यपाल उक्त नियमों में निम्नलिखित रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 163 (2) द्वारा यथा-अपेक्षित इस से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु प्रकाशित किये जा रहे हैं ।

प्रारूपित संशोधन से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अपने आक्षेप और सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने से 30 दिन की अवधि के भीतर सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, शिमला-2 को भेज सकता है जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारूपित संशोधन सहित, उक्त अवधि के समापन के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

DRAFT AMENDMENT

These rules may be called the Himachal Pradesh Gram Panchayat (Fifth Amendment) Rules, 1983.

In sub-rule (4) of rule 6 in Chapter I of the Himachal Pradesh Gram Panchayat Rules, 1971

the sign "(.)" after the word "nominees" shall be substituted by the sign "(,)" and thereafter the words "after having given an opportunity of being heard to the person (s) concerned." shall be added.

By order,
B. C. NEGI,
Secretary

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 4 अगस्त, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 94/79.—इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश, दिनांक 1-7-83 के पृष्ठांकन प्रति के क्रम संख्या 1 में विकास खण्ड देहरा के स्थान पर "विकास खण्ड नगरोटा सूरियां" पढ़ा जाए ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 6 अगस्त, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-21/78—क्योंकि श्री प्रकाश चन्द, पंच, ग्राम पंचायत जरोट, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा लगातार दिनांक 5-6-79 से पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं;

और क्योंकि उक्त पंच को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-8-80 को उनके पद से निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका उत्तर अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त श्री प्रकाश चन्द को उसके पद पर रखना जनहितार्थ नहीं ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री प्रकाश चन्द को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जरोट के पंच पद से निष्कासित करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 6 अगस्त, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-62/82.—क्योंकि श्री केदारनाथ, प्रधान, ग्राम पंचायत गुम्मरहटली, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के विरुद्ध 1184 रुपये की गृह कर राशि का 8-11-79 से 31-5-82 तक अपहरण करने का तथा 3000 से 5000 रु0 तक नकद शेष राशि 1-4-79 से 31-5-82 तक अनाधिकृत रूप से अपने पास रखकर और बाद में इस नकद राशि पर लगाए गए ब्याज की 800 रुपये की राशि को पंचायत में एक फर्जी रसीद द्वारा जमा करवाकर प्रधान पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं ;

और क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच करवानी आवश्यक है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अंकित आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए उप-मण्डल अधिकारी (ना0), देहरा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं । जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट एक मास के अन्दर अन्दर इस विभाग को जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ।

शिमला-2, 11 अगस्त, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 एए0 (5)-1 16/79.—श्री सोहन लाल, उप-प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत धीरड, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर को श्री विधी राम सेवा निवृत अध्यापक, गांव, भोगूवां, तहसील व जिला हमीरपुर को 6000/- रुपय से कम आय का झूठा प्रमाण-पत्र देने का दोषी पाया गया है ;

और क्योंकि उक्त पंचायत पदाधिकारी को उसके विरुद्ध आरोप पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत दिनाँक 12-5-83 को उनके पद से निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका उत्तर विचारने पर उसे असंतोषजनक पाया गया है । इसलिए उन्हें ग्राम पंचायत धीरड के उप-प्रधान पद पर रखना जनहितार्थ नहीं;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री सोहन लाल को ग्राम पंचायत धीरड, जिला हमीरपुर के उप-प्रधान पद से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (ड) के अन्तर्गत निष्कासित करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।